न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 04 / 2020

दायर दिनांकः 15.09.2020

उनवान

1. जमनालाल पिता शान्तिलाल भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ
2. रणजीत पिता शान्तिलाल भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ
3. मदन पिता हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ
4. शंकरलाल पिता हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ
5. उम्मा बेवा हजारी भील निवासी कुण्डालिया तहसील माण्डलगढ

——प्रार्थीगण

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन विभाग भीलवाडा
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग माण्डलगढ जिला भीलवाडा

——अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री संजय चौहान :— अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 15.04.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय चौहान दिनांक 11.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे नाम ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी नं. 1190 / 952 रकबा 08 बीघा भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। खातेदार शान्तिलाल का देहान्त हो गया है जिसके जायंदा वारिस प्रार्थी संख्या 01 व 02 है। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा था। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार एवं स्वामित्व नही है तथा न ही उक्त भूमि वन विभाग के खाते व नक्शे मे अंकित है फिर भी विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से कुछ समय पूर्व मिट्टी का डोल लगाना प्रारम्भ कर दिया तो प्रार्थीगण ने विपक्षीगण का मना किया इस पर विपक्षीगण ने कहा कि जमीन हमारी है तुम्हारी हो तो इसकी पत्थरगढी करवा लों। इस पर प्रार्थीगण ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया। आदेश की पालना मे दिनांक 17.06.2020 को विपक्षीगण की मौजुदगी मे पत्थरगढी की गई जिस पर विपक्षीगण का कब्जा पाया गया। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर से कब्जा हटाने बाबत कहॉ तो विपक्षीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर से विपक्षीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 23.12.2020 को विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अवगत करवाया कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि ग्राम गेणोली स्थित आराजी नं. 1190 / 952 रकबा 08 बीघा भूमि पर मौके पर वनखण्ड होलीडुगा मे स्थित है तथा उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। उक्त भूमि वनखण्ड होलीडुगा हो हिस्सा होकर विज्ञप्ति संख्या F 2 (27)

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

8/78 दिनांक 07.02.1979 से जारी होकर वन विभाग काबिज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा कभी भी नही रहा है। उक्त भूमि वन विभाग द्वारा लगाई खाई के अन्दर है। अतः उक्त भूमि वनखण्ड होलीडुमा का हिस्सा होकर विज्ञप्ति संख्या F 2 (27) राज 8/78 दिनांक 07.02.1979 से वन विभाग का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है वादी को प्रार्थना पत्र को खारिज करने बावत निवेदन किया है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जमाबंदी की नकल, अप्रार्थीगण की उपस्थिति मे की गई पत्थगढी का मौका पर्चा, विवादित भूमि की आवंटन पत्रावली, अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी की प्रतिलिपि के आधार पर प्रार्थीगण के नाम ग्राम गेणोली प0ह0 गेणोली के आराजी नं. 1190/952 रकबा 08 बीघा भूमि खातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हजारी पिता देवी भील निवासी कुण्डालिया के नाम से दिनांक 05.07.1971 को बिलानाम भूमि मे से आवंटन हुई थी तथा आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को दिनांक 12.05.1974 को सुपुर्द कर नामान्तकरण संख्या 14 से नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया गया। आवंटी की मृत्यु हो जाने से उक्त आवंटित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब मे प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर वन विभाग ने विज्ञप्ति संख्या F 2 (27) राज 8/78 दिनांक 07.02.1979 के आधार पर वन खण्ड का हिस्सा बताते हुए अपना कब्जा होना स्वीकार किया है। अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन किया गया तो उक्त विज्ञप्ति दिनांक 07.02.1979 को जारी की गई है जबकि प्रार्थीगण के पिता के नाम दिनांक 05.07.1971 को ही आवंटन कमेटी द्वारा बिलानाम भूमि से दिनांक 12.05.1974 को आवंटी को कब्जा सुपुर्द कर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हो चुका था। आवंटन के बाद जारी उक्त विज्ञप्ति मे उक्त आवंटित आराजी नं. 1190/952 रकबा 08 बीघा का उल्लेख नही है। वर्तमान मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आराजी नं. 1190/952 रकबा 08 बीघा पर वन विभाग का कब्जा अवैध है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम गेणोली तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी नं. 1190/952 रकबा 08 बीघा भूमि से अप्रार्थीगण का कब्जा हटाकर, प्रार्थीगण को संभलाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ़
तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner